दि.०६.०६.२०१६

प्रति,
माननीय नरेंद्र मोदीजी
भारत सरकार
नई दिल्ली.

विषय : अन्य पिछडे वर्गोंका वर्गीकरण.

संदर्भ : राष्ट्रीय पिछडे वर्ग के आयोग, नई दिल्ली, इनका दि.०२.०३.२०१५ का प्रतिवेदन और उनकी सिफारिसे.

महोदय,

अन्य पिछडे वर्गोंका राष्ट्रीय स्तरपर वर्गीकरण हो जाए और सब वंचित, दबे हुए पिछडे वर्गोंको तथा सबसे पिछडे वर्गों को मंडल आयोग की सिफारिसों के अनुसार २७% आरक्षण मिले। इसलिए हमे पिछले ४० बरसोसे प्रयास कर रहे है, किन्तु इन विमुक्त घुमंतू जातीयाँ, सबसे पिछडे जातीयोंको पूरे भारतवर्षमें उनके लिए प्रयास करनेवाला, नेतृत्व प्राप्त नही हुआ है। उनकी आबादी करीब ४० करोड है और इस जाती वर्गने कूल १२०६ जातीयाँ सम्मिलीत है। उन्हे २७% आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, इसलिए भारत सरकारने राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग को आदेश दिया की, वे इस बारे में जो बैठक हुई, जो अहवाल प्रस्तुत हुए, जो न्यायिक फैसले दिए गए उनका ध्यानपूर्वक अभ्यास करे। इन बारेमें राज्योंके विचार जान ले और अन्य पिछडे वर्गोका वर्गीकरण कैसा है। उनके लिए कौनसी पद्धती अपनाए, इनके बारेमें अपना प्रतिवेदन और सिफारिसें प्रस्तुत करे।

राष्ट्रीय पिछडे वर्ग आयोग ने इसके विषय के बारे में संपन्न हुई बैठके, विविध प्रतिवेदन और इस विषयमें जो न्यायिक फैसले दिए गए, उनका अध्ययन किया। राज्य सरकारोंकी इस विषय में क्या राय है, यह जान लिया। इस विषयमें संबंधित अनेक व्यक्तीयोंसे बातचीत की और अपना प्रतिवेदन और सिफारिसे दि.०२.०३.२०१५ को केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए। यह प्रतिवेदन बहुत ही अच्छा है। उसमें जो सिफारिसे है वे दुर्बल और वंचित विमुक्त घुमंतू, बाराबलुतेदार और आत्यंतिक पिछडे वर्गोंको सामाजिक न्याय दिलाएँगी। यह कहना उचित होगा की, यह प्रतिवेदन डॉ.

बाबासाहेब आंबेडकर के १२५ वे जयंती वर्षमें सामाजिक न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण घटना साबीत होगी। इसलिए भारत सरकार को यह बिनती है की, हम प्रतिवेदन के बारे में वह जल्द से जल्द नीती निर्णय लें और राष्ट्रीय पिछडे वर्ग को आदेश दे की वह अन्य पिछडे वर्गों का उपवर्गीकरण करने का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर शुरु करें। भारत सरकार से और बिनती है की, राष्ट्रीय पिछडे वर्ग के आयोग के प्रतिवेदन में सुलझायी हुई पद्धती के अनुसार उप वर्गोंकी संख्या कितनी हो और अन्य विषयोंके बारे में तत्वतः मान्यता दे और यह मान्यता आयोग को सूचित की जाए।

दबे हुए और वंचित वर्गोंके ४० करोड जनता की तरफसें हम आपको यह बिनती कर रहे है की इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषयमें जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

धन्यवाद !

भवदीय

हरिभाऊ राठोड

पूर्व सांसद और विधानपरिषद सदस्य

मोबाईल नं. ९९२०७ १६९९९